कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–617 इन्फ/2013–14 इन्फ/2013 लखनऊः दिनांकः 25 जून, 2013

सेवा में,

समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उ0प्र0।
समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उ0प्र0।
समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उ0प्र0।
समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0।

विषयः **कैरिज बाई रोड एक्ट–2007 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

भारत सरकार द्वारा कैरिज बाई रोड एक्ट–2007 के अधीन निर्मित कैरिज बाई रोड रूल्स–2011 की अधिसूचना दिनांक 28.02.2011 को जारी की जा चुकी है, जो दिनांक 01.03.2011 से प्रभावी है। उक्त नियमावली के जारी होने के 180 दिनों के अन्दर सामान्य वाहक का कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति/एजेंन्सी को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना है। इस सम्बन्ध में पहले भी आपको पत्र संख्या–793सा0प्र0/2011–174 टी0आर0/2009, दिनांक 29.8.2011 एवं पत्र संख्या–1635एसटीए/2011, दिनांक–24.10.2011 एवं अनुस्मारकीय पत्र संख्या–392एसटीए/2013–37एसटीए/2011, दिनांक 12.03.2012 द्वारा उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन की अपेक्षा की गयी है।

2. कैरिज बाई रोड एक्ट–2007 की धारा–4(8) में निम्न प्राविधान हैः–

"कोई सामान्य वाहक, मोटरयान में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित उस सकल यान भार से अधिक भार नहीं लादेगा, जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक माल प्रेषण टिप्पण या माल रसीद में वर्णित है और सामान्य वाहक ऐसे वाहन में सकल यान भार से अधिक माल नहीं लादेगा या उसकी अनुमति नहीं देगा"।

उपरोक्त प्राविधान का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा–5 (3) के अन्तर्गत दण्ड का निम्न प्राविधान किया गया हैः–

"यदि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को धारा–4 की उपधारा (8) के उपबंध के अतिक्रमण का सबूत प्राप्त हुआ है तो वह सामान्य वाहक पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–194 के अधीन विहित शास्ति अधिरोपित करने के लिए इस तथ्य के होते हुए भी सक्षम होगा कि ऐसी शास्ति, यथास्थिति, माल यान के ड्राइवर या स्वामी या परेषक पर पहले ही अधिरोपित की जा चुकी है और उससे वसूल की जा चुकी है।"

3. इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा–3 में निम्न प्राविधान हैः–

"(1)–कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् सामान्य वाहक के कारबार में तब तक नहीं लगेगा, जब तक उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त न किया गया हो।

(2)–कोई व्यक्ति, जो चाहें पूर्णतः या भागतः सामान्य वाहक के कारबार में लगा है, इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व–

(क) ऐसे प्रारम्भ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(ख) जब तक उसने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन न किया हो और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त न कर दिया गया हो, ऐसे प्रारम्भ की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति पर उस कारबार में नहीं लगेगा।"

4. अधिनियम की धारा–13 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है:–

"(1)–मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति का कोई माल सामान्य वाहक द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे रक्षोपायों का, जो विहित किए जाएं, अनुपालन करने के पश्चात् ही वहन किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

(2)–केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए गये नियमों द्वारा, मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल को और परिवहन के अनुक्रम में मोटरयानों में वहन किए जाने वाले या ऐसे माल प्रदर्शित किए जाने वाले लेबल या लेबलों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(3)–प्रत्येक सामान्य वाहक, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे परेषण का, जिसमें मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति का माल हो, परिवहन आरम्भ करने से पूर्व यह संवीक्षा करेगा और सुनिश्चित करेगा कि वह परेषण ऐसे माल के सम्बन्ध में किसी बीमा संविदा के अधीन ऐसी एक या अधिक बीमा पालिसियों द्वारा बीमा किया हुआ है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या क्षति अथवा किसी सम्पत्ति या परेषण के नुकसान की दशा में, यदि कोई दुर्घटना होती है, तो अनुतोष का उपबंध किया गया हो।"

5. अधिनियम की धारा–14 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है:–

"केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, लोक हित में ऐसे माल या माल के वर्ग या वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका सामान्य वाहक द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।"

6. अधिनियम की उक्त धाराओं–धारा–3, धारा–13 तथा धारा–14 के प्राविधानों के उल्लंघन करने पर धारा–18 में निम्न प्राविधान दिये गये हैं:–

(1)–जो कोई धारा–3, धारा–13 के उपबंधों का या धारा–14 के अधीन जारी किसी अधिसूचना का उल्लंघन करेगा, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा और दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2)–यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के भागी होंगे।

(3)–उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की

सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहॉ ऐसे किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी और तदनुसार दण्डित किया जाएगा।

अतः प्रवर्तन कार्य के समय कैरिज बाई रोड एक्ट–2007 के उक्त धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाय तथा माह में कृत कार्यवाही की सूचना अगले माह की पांचवीं तारीख तक मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाय।

(रजनीश गुप्ता),
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:617 (1)इन्फ/2013–समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

24.6.13

(रजनीश गुप्ता),
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।